

क्रम संख्या-55

पंजीकृत संख्या-गुए/डी0बो0/डी0डी0एन0-30/2012-14

(संशोधन एवं संशोधन विभाग)

(संशोधन एवं संशोधन विभाग)



उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 31 मार्च, 2015 ई0

चैत्र 10, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 100/XXXVI(3)/2015/18(1)/2015

देहरादून, 31 मार्च, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड आमोद और पणकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015" पर दिनांक 31 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

